भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3888
उत्तर देने की तारीख-16/03/2026

स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए बजट आवंटन

†3888. **श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समग्र शिक्षा, पीएम श्री स्कूल, पीएम ई-विद्या, स्वयं, राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है और इन पहलों ने किस प्रकार स्कूल और उच्च शिक्षा में पहुंच, गुणवत्ता और डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ किया है;

(ख) ओडिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के सुधारों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है जिसमें पाठ्यचर्या में परिवर्तन, कौशल एकीकरण, शिक्षक प्रशिक्षण और संस्थागत विकास शामिल है;

(ग) विशेष रूप से जनजातीय और आकांक्षी जिलों में सकल नामांकन अनुपात में महत्वपूर्ण सुधारों, बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी और डिजिटल पहुंच के विस्तार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के पूर्वी भाग में उच्च शिक्षा और अनुसंधान क्षमता का विस्तार करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है जिसमें नए संस्थानों के प्रस्ताव अथवा मौजूदा संस्थानों का विस्तार करना शामिल है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): समग्र शिक्षा और पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय आवंटन और व्यय (जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा) का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

योजना का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
	केंद्रीय आवंटन	जारी केंद्रीय भाग	केंद्रीय आवंटन	जारी केंद्रीय भाग	केंद्रीय आवंटन	जारी केंद्रीय भाग
समग्र शिक्षा	44493.94	32151.94	45647.55	32382.79	47475.67	34458.21
पीएम-श्री	-	-	2520.34	1216.68	5808.72	3571.08

स्रोत: पीएबी कार्यवृत्त /पीएफएमएस /प्रबंधपोर्टल

यूडाइज़+ वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार 5,93,615 सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने बजट वर्ष 2025 में 'भारतनेट' प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की घोषणा की है ताकि बीएसएनएल के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को बेहतर बनाया जा सके।

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के हिस्से के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल दिनांक 17 मई, 2020 को शुरू की गई थी, जिसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तत्वावधान में देश भर में शिक्षा के लिए मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। पीएम ई-विद्या में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /स्वायत्त निकायों (एबी)/ भारत सरकार में अन्य मंत्रालयों को आवंटित 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं ताकि वे कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर सकें।

ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड युक्त पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने हेतु देश का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है। दीक्षा में एक भागीदार के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों ने बहुभाषावाद को सक्षम करते हुए मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.7 लाख से अधिक सामग्री तैयार की है और योगदान दिया है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 565.28 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए गए हैं। हितधारकों के पास दीक्षा पर 450 से अधिक वर्चुअल लैब और 100 वर्चुअल स्किल लैब (हिंदी और अंग्रेजी में 50-50) तक पहुंच है।

समग्र शिक्षा के तहत, दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षक क्षमता निर्माण में सहायता की जा रही है। विभाग ने दीक्षा पर एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में निष्ठा (नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट) को भी लागू किया है, जिसमें डिजिटल शिक्षाशास्त्र, आईसीटी उपकरणों के उपयोग और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण पर मॉडयूल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डीआईईटी, बीआरसी और सीआरसी डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षकों की तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए संसाधन सामग्री, डिजिटल सामग्री, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का संचालन करते हैं।

समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ड्रॉपआउट दर कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियों यथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने/सुदृढ़ीकरण करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, स्तरोन्नयन और संचालन करना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी हेतु छात्रावास निर्माण, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत असंतृप्त एसटी जनसंख्या के लिए छात्रावास निर्माण, निःशुल्क यूनिफॉर्म, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन व प्रतिधारण अभियान चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, स्कूल से बाहर बच्चों को आयु उपयुक्त प्रवेश दिलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण के साथ-साथ बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसम अनुकूल छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्य स्थल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/मार्ग अनुरक्षण की सुविधा भी दी जाती है, ताकि इन बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में वापस लाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए छात्र-उन्मुख घटक के तहत विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा दिव्यांग छात्राओं को वज़ीफ़ा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उच्चतर शिक्षा विभाग एनईपी 2020 की संकल्पना के अनुरूप, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी) को लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की सभी प्रक्रियाओं में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाना है। एनएमईआईसीटी योजना के तहत, 'स्टडी वेब्स ऑफ़ एक्टिव लर्निंग फ़ॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स' (स्वयम) प्लेटफ़ॉर्म प्रमुख संस्थानों द्वारा तैयार की गई सामग्री को होस्ट करता है, और यह "कोई भी, कहीं भी, कभी भी" सीखने के दृष्टिकोण के साथ निःशुल्क उपलब्ध है। आज की तारीख के अनुसार, स्वयम के माध्यम से 4400 से अधिक विशिष्ट पाठ्यक्रम पेश किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर 6 करोड़ से अधिक नामांकन हुए हैं। एनएमईआईसीटी योजना (जिसमें स्वयम घटक भी शामिल है) के तहत विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

(राशि रुपये करोड़ में)

2022-23	2023-24	2024-25
395.02	395.82	625.58

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से फरवरी 2024 में स्वयम प्लस मंच शुरू किया है। यह प्लेटफ़ॉर्म अपने उद्योग सहयोगियों के सहयोग से अधिगम वालों को इंडस्ट्री से जुड़े उच्च-गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है, जिससे उन्हें नए कौशल सीखने, अपने कौशल को बेहतर बनाने और रोज़गार के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। आज की तारीख के अनुसार, स्वयम प्लस ने प्रमुख उद्योग भागीदारों के साथ 89 से अधिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 15 अलग-अलग क्षेत्रों में 504 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, और 4.84 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने अपने कौशल वृद्धि के लिए नामांकन कराया है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था ने अक्टूबर 2025 में “एनआईईएलआईटी डिजिटल विश्वविद्यालय (एनडीयू) मंच” शुरू किया है। “एनआईईएलआईटी डिजिटल विश्वविद्यालय मंच” एक डिजिटल अधिगम मंच है जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों में ऑनलाइन और मिश्रित कौशल-आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। इस मंच में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, साइबर सुरक्षा, साइबर फ़ॉरेंसिक्स, इंडस्ट्री 4.0 और अन्य उभरते क्षेत्रों में रीयल-टाइम प्रयोगों के लिए बिल्ट-इन वर्चुअल लैब भी हैं। इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रम 'राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क' (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हैं और इन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इनके क्रेडिट 'एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट्स' (एबीसी) में अंतरित कर दिया जाएगा।

आज की तारीख के अनुसार, में एनडीयू प्लेटफ़ॉर्म पर 100 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। वर्तमान में उपलब्ध पाठ्यक्रम में अल्प अवधि, मॉड्यूलर और विशेष पाठ्यक्रम शामिल हैं जिन्हें एनआईईएलआईटी के देश भर में फैले 56 केन्द्रों के मौजूदा नेटवर्क के ज़रिए उपलब्ध कराया जाता है।

विगत तीन वर्षों में उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) योजना के लिए बजट आवंटन 1 लाख रुपये है। हेफा योजना के लिए बजट आवंटन पूंजी योगदान हेतु था। हेफा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी है और आरबीआई के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। एक वित्तीय संस्थान होने के नाते, हेफा सभी केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों (सीएफआई) को भौतिक बुनियादी ढांचा, अनुसंधान प्रयोगशालाएं और उपकरण आदि बनाने के लिए ऋण प्रदान करता है ताकि सभी छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला अधिगम वातावरण, बेहतर अनुसंधान तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

(ख): ओडिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	विशिष्ट उपलब्धि	स्थिति
1.	कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु 6+ वर्ष	लागू (शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से)
2.	विद्या प्रवेश- 3 महीने का स्कूल तैयारी मॉड्यूल	लागू किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में 44,897 सरकारी स्कूलों के 4,41,222 छात्रों ने भाग लिया।
3.	बालवाटिकाओं की स्थापना	'शिशु वाटिका' शुरू की गई: 44,875 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 5-6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री-स्कूल कक्षा। अनुमानित 3.10 लाख छात्रों ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए नामांकन कराया है।
4.	जादूई पिटारा का कार्यान्वयन	जादूई पिटारा, जादूई पेड़ी का प्रासंगिक संस्करण लागू किया जा रहा है
5.	सकल नामांकन अनुपात	प्रारंभिक स्तर (कक्षा 3 से 5): 94.6% मिडिल स्तर (कक्षा 6 से 8): 95.5% माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12): 72.3%
6.	स्कूलों में ड्रॉप आउट कम करना	राज्य में स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए 30 अप्रैल से 5 मई, 2025 तक 'बाल ट्रैकिंग सर्वेक्षण' शुरू किया गया।
7.	स्कूल से बाहर बच्चे	राज्य ने 'समग्र शिक्षा' के तहत, एसईडीजी से संबंधित बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए एक बचाव दल का गठन किया है। प्रत्येक क्लस्टर में एसईडीजी की मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है। राज्य स्तर पर नियोजन बैठक का एक दौर संपन्न हो चुका है।
8.	राज्य पाठ्यक्रम ढाँचा - आधारभूत चरण	स्थानीय संदर्भ के अनुरूप एनसीएफ-एफएस को अपनाया गया
9.	राज्य पाठ्यक्रम ढाँचा - स्कूल शिक्षा	स्थानीय संदर्भ के अनुरूप एनसीएफ -एसई को अपनाया गया
10.	शिक्षकों का सम्मान	ओडिशा में शिक्षकों/प्रधानाचार्यों की मान्यता के

		लिए एक राज्य स्तरीय नीति है- मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार (एमएसपी)।
11.	शिक्षक प्रशिक्षण	'प्रारंभ' मॉड्यूल कक्षा-शिक्षण में एफएलएन सामग्री के उपयोग और 'विद्या प्रवेश' के कार्यान्वयन पर केंद्रित है; वहीं 'प्रयोग' मॉड्यूल 'जादुई पिटारा' पर, तथा साक्षरता और संख्या-ज्ञान दोनों क्षेत्रों में बहु-कक्षा और बहु-स्तरीय स्थितियों में कक्षा-शिक्षण पर केंद्रित है। शिशु वाटिका और 'प्रवेश उत्सव' के लिए 'खादी छुअन' कार्यक्रम राज्य के सभी विद्यालयों में दिनांक 2 अप्रैल से 5 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया।
12.	विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके)	वीएसके स्थापित किया गया और एपीआई के माध्यम से राष्ट्रीय वीएसके से जोड़ा गया।
13.	दीक्षा	दिनांक 9 मार्च 2026 तक 5.90+ लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता, 24.29+ करोड़ लर्निंग सेशन और 271.16+ करोड़ अधिगम मिनट पूरे हो चुके हैं।
14.	छात्र एपीएएआर आईडी	52+ लाख सृजित की गई (64%)
15.	कौशल शिक्षा	कौशल शिक्षा के तहत लागू किए गए 803 स्कूलों में 95,479 छात्रों ने दाखिला लिया, जिसमें 25 में से 12 सेक्टर और उपलब्ध 138 में से 22 जॉब रोल शामिल हैं।

(ग): यूडाइज़ रिपोर्ट के अनुसार, जनजीाय और आकांक्षी जिलों सहित देश में माध्यमिक स्तर पर जीईआर में वर्ष 2018-19 में 76.9% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 78.7% हो गया है, जबकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जीईआर वर्ष 2018-19 के 50.1% से बढ़कर 2024-25 में 58.4% हो गया है।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, 'अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा पर सर्वेक्षण' (एआईएसएचई) के अनुसार वर्ष 2018-19 में 26.3% से बढ़कर वर्ष 2022-23 (अनंतिम) में जीईआर 29.5% तक पहुँच गया। उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की संख्या भी वर्ष 2018-19 के 51,649 से बढ़कर वर्ष 2022-23 (अनंतिम) में 58,643 हो गई है। ऑनलाइन शिक्षा देने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की संख्या वर्ष 2020 में 7 से बढ़कर वर्ष 2025 में 123 हो गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत में जीईआर (सकल नामांकन अनुपात) को बेहतर बनाने के उपायों में नए संस्थान बनाकर और मौजूदा संस्थानों का स्तरोन्नयन करके अवसंरचना का विस्तार करना; छात्रवृत्ति और वित्त पोषण के माध्यम से वित्तीय सहायता बढ़ाना; और स्वयम (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइण्ड्स) तथा एनपीटीईएल (नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलोजी एन्हेंस्ड लर्निंग) जैसे ऑनलाइन मंचों को बढ़ावा देकर टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना शामिल है।

यूडाइज़+ वर्ष 2024-25 के अनुसार स्कूल छोड़ने की दरों में लगातार गिरावट आई है। हाल के वर्षों में स्कूल छोड़ने की दरें लगातार कम हुई हैं; प्राथमिक स्तर पर यह 0.3%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 3.5% और माध्यमिक स्तर पर 11.5% है। ड्रॉपआउट दरों में सुधार के साथ-साथ भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल अवसंरचना में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्कूलों में कंप्यूटर वाले स्कूलों का प्रतिशत वर्ष 2019-20 में 38.5% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 64.7% हो गया और इंटरनेट की सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत 22.3% से बढ़कर 63.5% हो गया।

स्कूल शिक्षा के विपरीत उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के पास कई विकल्प होते हैं और वे एक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम से दूसरे में जा सकते हैं; इसलिए, उच्चतर शिक्षा में 'ड्रॉप आउट' जैसी कोई अवधारणा नहीं है। तथापि, उच्चतर शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे वित्तीय सहायता और छात्रवृत्तियाँ जैसे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (पीएमयूएसपी), वंचित समूहों के लिए फीस में छूट/कमी, अध्ययन ऋणों को बढ़ावा देना जैसे पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना, अधिक संस्थानों की स्थापना, छात्र सहायता प्रणाली (जैसे परामर्श कक्षों की स्थापना), शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करना, सुधारात्मक कोचिंग प्रदान करना, और ऑनलाइन तथा डिजिटल अधिगम (ओडीएल) के तहत पहलें जैसे स्वयम, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल) और ई-पीजी पाठशाला। इसके अतिरिक्त, एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सुधारों के लिए अनेक पहलें जैसे कि बहु निकास और प्रवेश विकल्प, एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट्स (एबीसी), पसंद आधारित क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) आदि, अधिगम पहुँच और गुणवत्ता दोनों को सुदृढ़ करने वाले डिजिटल साधन सुनिश्चित करना शामिल हैं।

(घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप सरकार ने जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तीसरे चरण को 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान' (पीएम-उषा) के रूप में शुरू किया है, यह चरण वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए है और इसके लिए 12,926.10 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है, इस राशि में रूसा के पिछले चरणों की प्रतिबद्ध देनदारियां भी शामिल हैं और इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है जहाँ शिक्षा की सुविधाएँ या तो उपलब्ध नहीं हैं या अपर्याप्त हैं। पीएम-उषा के 'बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय' (मेरु) घटक के तहत, 35 विश्वविद्यालयों के लिए प्रत्येक को कुल 100 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

मेरु घटक के तहत पहुँच, समता और उत्कृष्टता के उच्चतर स्तरों को अर्जित करने और समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों से विभिन्न अनिवार्य गतिविधियों जैसे: (i) राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और पसंद आधारित क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) को लागू करना तथा वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रणाली को लागू करना; (ii) एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को अपनाना; (iii) ऑनलाइन दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) और स्वयम/एमओओसीएएस जैसे ऑनलाइन कार्यक्रमों का उपयोग करना; (iv) भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम; (v) पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा (आईकेएस) को शामिल करना; (vi) सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम; (vii) 21वीं सदी के कौशलों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षुता/प्रशिक्षण आदि को करने की अपेक्षा की जाती है।

शिक्षा मंत्रालय 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (रूसा) लागू कर रहा है जो केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है, इसका उद्देश्य राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि निर्धारित मानदंडों तथा मानकों का पालन सुनिश्चित करके उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप सरकार ने जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का तीसरा चरण 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान' (पीएम-उषा) के रूप में शुरू किया है, यह अभियान वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए है और इसके लिए 12,926.10 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है जहाँ शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं या कम हैं। इस योजना को पीएम-उषा परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दिनांक 31 मार्च, 2028 और जारी रूसा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 6 महीने (अर्थात 30 सितंबर, 2026) तक विस्तारित किया गया है।

पीएम-उषा के तहत फोकस ज़िलों को प्राथमिकता दी जाती है। फोकस ज़िलों की पहचान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है जिनमें कम सकल नामांकन अनुपात, लैंगिक समानता, जनसंख्या अनुपात और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िले आदि शामिल हैं। इस योजना के तहत, देश के पूर्वी हिस्से में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 4111.82 करोड़ रुपये की लागत वाली 626 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।
